



संख्या-101/2026/आई/1494216/2026/65-2099/728/2019

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2026

विषय-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-81 में आवश्यक अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2489/दि०स०वि०/एस०एन०ए०स्पर्श/2026-27 दिनांक 06.10.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0105-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन-63-सामाजिक पेंशन मद से रू० 5.45 लाख (रू० पाँच लाख पैंतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (i) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- (ii) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (iv) धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26.09.2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(vi)निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(ix)योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग स्वयं संतुष्ट हो लेंगे एवं आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।

(x)निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए एस0एन0ए0 को प्रेषित की जायेगी तथा एस0एन0ए0 द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(xi)समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः एस0एन0ए0 स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। एस0एन0ए0 द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-150-X-2026-27 दिनांक: 12-10-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2.महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4.राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
- 6.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।